

# न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(आर.सी.ढेनवाल, आई०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या  
प्रविष्टि दिनांक

74 / 2018  
15-11-2018

1-पप्पू पुत्र मूल्या कीर निवासी मण्डावर तह० टोंक जिला टोंक राज०  
2-श्योजी पुत्र मूल्या कीर निवासी मण्डावर तह० टोंक जिला टोंक राज०

—अपीलान्ट्स

बनाम

तहसीलदार टोंक जिला—टोंक राजस्थान

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा०ले०रे०एक्ट विरुद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार टोंक दिनांक  
05.09.2018 धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956



उपस्थिति : (1) श्री जितेन्द्र कुमार जैन अभिभाषक अपीलान्ट्स  
(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 27.12.2018

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टोंक ने अपने आदेश दिनांक 05.09.2018 के द्वारा अपीलान्ट्स को भूमि खसरा नम्बर 3591/191 रकबा 1 बीघा किस्म चरागाह वाके ग्राम मण्डावर पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट्स ने तहसीलदार टोंक के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट्स एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नहीं मंगवाई और न ही मौके का निरीक्षण किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को पूर्व में किसी भी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। ओर न ही अपीलान्ट्स की प्रोपर तामील करवाई है। निर्णय एक पक्षीय पारित किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा रंजिशवंश गलत रिपोर्ट अपीलान्ट्स के खिलाफ की है। मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट पटवारी हल्का ने किस तारीख को तैयार की, उक्त तारीख का अंकन भी पटवारी हल्का की रिपोर्ट में नहीं है। पटवारी हल्का ने कोई निष्पक्ष रिपोर्ट भी तैयार नहीं की है। पटवारी हल्का ने कब व किस के सामने रिपोर्ट तैयार की इसका भी अंकन निर्णय में नहीं है। अपीलान्ट्स को जो नोटिस तामिल हुआ है वह अपूर्ण है और न ही अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। अपीलान्ट्स द्वारा किसी भी चरागाह भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है ओर न ही अपीलान्ट्स का

किसी चरागाह भूमि से कोई सम्बन्ध है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।


अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलान्ट्स की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं। पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट्स ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व गत वर्ष में भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली संख्या 513 निर्णय दिनांक 9-1-2018 से बेदखल किया गया है। अतिक्रमी चरागाह भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने के आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलान्ट्स का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट्स को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलान्ट्स की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपने बचाव पक्ष में साक्ष्य सबूत पेश करना चाहिए था। अपीलान्ट्स द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 3591/191 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम मण्डावर तहसील टोंक पर बाजरा की फसल काशत कर अतिक्रमण किया है। जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानों से सिद्ध है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट्स ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व गत वर्ष में भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली संख्या 513 निर्णय दिनांक 9-1-2018 से बेदखल किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। विवादित भूमि चरागाह है जो सार्वजनिक उपयोग एवं हित की भूमि है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट्स अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.09.2018 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(आर.सी.ढेनवाल)  
जिला कलेक्टर, टोंक  
टोंक